




प्लेट वविरत्नकी

//





प्लेट विवर्तनिकी

(या स्थल मंडलीय प्लेटें)

1967 में, मैकेंजी, पार्कर और मॉगन प्लेट विवर्तनिकी अवधारणा के साथ सामने आए

प्लेट विवर्तनिकी

ठोस चट्टान के विशाल, अनियमित आकार के स्लैब (क्रस्ट + ऊपरी मेंटल)

प्रकार

- महाद्वीपीय या महासागरीय (जो भी प्लेट के बड़े हिस्से को अधिग्रहित करता है)
- प्रशांत प्लेट-महासागरीय; यूरेशियन प्लेट-महाद्वीपीय


प्लेटों का संचलन

- दुर्बलतामंडल के ऊपर प्लेटें लगातार क्षैतिज रूप से गति करती हैं
- प्लेटों के टकराने/उनकी गति करने से भूकंप/ज्वालामुखीय विस्फोट होते हैं

वृहत् और लघु प्लेटें

भारतीय प्लेट

- शामिल हैं- प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीपीय भाग
- पूर्वी विस्तार- राकिम योमा पर्वत (म्यांमार) से जावा गर्त तक
- पश्चिमी विस्तार-बलूचिस्तान (पाकिस्तान) का मकराना तट
- संचलन की दर-उत्तर-पूर्व दिशा में 54 मिमी/वर्ष
- भारत और अंटार्कटिक प्लेट के बीच सीमा-एक महासागरीय रिज (अपसारी सीमा) द्वारा चिह्नित
- हिमालय का निर्माण-भारतीय और यूरेशियाई प्लेटों के आपस में टकराने से



दुर्बलतामंडल- स्थलमंडल के ठीक नीचे स्थित पृथ्वी के मेंटल का एक क्षेत्र; यह स्थलमंडल की तुलना में अधिक गर्म और अधिक तरल माना जाता है


प्लेट संचलन के प्रकार

- अपसारी संचलन/ रचनात्मक सीमा, जब दो प्लेटें एक-दूसरे की विपरीत दिशा में गमन करती हैं
- अभिसारी संचलन/ विनाशात्मक सीमा, इसमें दो प्लेटें एक-दूसरे की ओर गति करती हैं
- समानांतर प्लेट संचलन/संरक्षी प्लेट सीमा, जब प्लेटें एक-दूसरे के समानांतर गति करती हैं जिससे न तो किसी प्रकार की पर्पटी का निर्माण होता है न विनाश होता है

सबडव्शन

यह तब होता है जब टेक्टोनिक प्लेट्स स्थानांतरित होती हैं और एक दूसरे के समान गति करती हैं

महासागरीय प्लेटों का नीचे की ओर जाना → गर्म मेंटल प्लेट से टकराव → ऊष्मा की उत्पत्ति → वाष्पशील तत्वों के साथ मिश्रण → मैग्मा की उत्पत्ति → ज्वालामुखी विस्फोट



राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल

प्रलिस के लयः

भारत नरवाचन आयोग, राष्ट्रीय और राज्य दलों की घोषणा, पंजीकृत-गैर-मान्यता प्राप्त दल, जनपरतनिधित्व अधनियम 1951

मेन्स के लयः

राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय के रूप में मान्यता देने की प्रक्रिया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गुजरात चुनाव के परिणाम के बाद आम आदमी पार्टी भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई, जहाँ उसे कुल वोट का लगभग 13% प्राप्त हुआ।

- पहले आम चुनाव (1952) के समय भारत में 14 राष्ट्रीय दल थे।

नोटः

- भारत नरवाचन आयोग (ECI) चुनाव के उद्देश्य से राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उन्हें उनके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है।
- अन्य दलों को केवल पंजीकृत-गैर-मान्यता प्राप्त दलों के रूप में घोषित किया जाता है।
 - जनपरतनिधित्व अधनियम 1951 के अनुसार पंजीकृत राजनीतिक दल समय के साथ 'राज्य दल' या 'राष्ट्रीय दल' के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकते हैं।

राष्ट्रीय दल (National Party):

- परचियः जैसा कि नाम से पता चलता है, इसकी एक क्षेत्रीय दल के विपरीत राष्ट्रव्यापी उपस्थिति होती है, जो केवल एक विशेष राज्य या क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है।
 - एक नश्चि कद राष्ट्रीय दल के साथ जुड़ा होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उसका बहुत अधिक राष्ट्रीय राजनीतिक प्रभाव हो।
- किसी पार्टी को 'राष्ट्रीय' घोषित करने की शर्तें:
 - ECI की राजनीतिक दल और चुनाव चिह्न, 2019 पुस्तिका के अनुसार, एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल माना जाएगा यदि:
 - यह चार या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में 'मान्यता प्राप्त' हो; या
 - लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनावों में 4 अलग-अलग राज्यों से कुल वैध मतों के 6 प्रतिशत मत प्राप्त करे तथा इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करे। या
 - यदि उसने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% सीटें जीती हो।

किसी दल को राज्य स्तरीय दल कैसे घोषित किया जाता है?

- किसी दल को किसी राज्य में राज्यस्तरीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि निम्न में से कोई भी शर्त पूरी होती है:
 - यदि यह संबंधित राज्य विधान सभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है और साथ ही यह उसी राज्य विधान सभा में 2 सीटें जीतता है।
 - यदि यह लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है और साथ ही यह उसी राज्य से लोकसभा में 1 सीट जीतता है।
 - यदि यह संबंधित राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में विधान सभा में 3% सीटें जीतता है या विधानसभा में 3 सीटें (जो भी अधिक हो) जीतता है।
 - यदि यह संबंधित राज्य से लोकसभा के आम चुनाव में राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 सीटों या उसके किसी खंड के लोकसभा में 1 सीट

जीतती है।

- यद्यपि यह राज्य या राज्य विधान सभा के लिये लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 8% मत प्राप्त करता है।

राष्ट्रीय/राज्य घोषित किये जाने के महत्त्व

- आयोग द्वारा दलों को प्रदान की गई मान्यता उनके लिये कुछ विशेषाधिकारों के अधिकार का निर्धारण करती है, जैसे चुनाव चिह्न का आवंटन, राज्य नयितरण, टेलीविजन और रेडियो स्टेशनों पर राजनीतिक प्रसारण हेतु समय का उपबंध एवं निर्वाचन सूचियों को प्राप्त करने की सुविधा।
- इन दलों को चुनाव के समय 40 "स्टार प्रचारक" (पंजीकृत-गैर-मान्यता प्राप्त दलों को 20 "स्टार प्रचारक" रखने की अनुमति है) रखने की अनुमति है।
- प्रत्येक राष्ट्रीय दल को एक चुनाव चिह्न प्रदान किया जाता है जो पूरे देश में वशिष्टतः उसी के लिये आरक्षित होता है। यहाँ तक कि उन राज्यों में भी जहाँ वह चुनाव नहीं लड़ रही है।
- एक राज्य दल के लिये आवंटित चुनाव चिह्न वशिष्ट रूप से उस राज्य/राज्यों में इसके उपयोग के लिये आरक्षित है जिसमें इसे मान्यता प्राप्त है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारत एवं ग्लोबल साउथ

प्रलम्ब के लिये:

ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ, G20, UNSC, BRI, हरित ऊर्जा कोष।

मेन्स के लिये:

भारत की G20 अध्यक्षता संबंधी चुनौतियाँ और आगे की राह।

चर्चा में क्यों?

भारत द्वारा **G20 की अध्यक्षता** प्राप्त करने के साथ ही, भारत के विदेश मंत्री ने "वैश्विक दक्षिणी देशों की आवाज़" के रूप में भारत की भूमिका पर बल दिया, जिसका वैश्विक मंचों पर प्रतिनिधित्व कम है।

ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ:

- 'ग्लोबल नॉर्थ' से तात्पर्य मोटे तौर पर अमेरिका, कनाडा, यूरोप, रूस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड जैसे देशों है, जबकि 'ग्लोबल साउथ' के अंतर्गत एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देश शामिल हैं।
- यह वर्गीकरण अधिक सटीक है क्योंकि इन देशों में, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के संकेतक आदि के संदर्भ में काफी समानताएँ हैं।
- भारत और चीन जैसे कुछ दक्षिणी देश पछिले कुछ दशकों में आर्थिक रूप से विकसित हुए हैं।
 - कई एशियाई देशों द्वारा हासिल की गई प्रगति को इस विचार को चुनौती देने के रूप में भी देखा जाता है कि उत्तरी देश ही आदर्श है।

पहले उपयोग की गई वर्गीकरण प्रणाली:

- प्रथम विश्व, द्वितीय विश्व और तृतीय विश्व के देश:
- प्रथम, द्वितीय और तृतीय विश्व के देश **शीत युद्ध**-कालीन अमेरिका, सोवियत संघ के सहायक देशों और गुट-नरिपेक्ष देशों को संदर्भित करते हैं।
- विश्व प्रणाली दृष्टिकोण:
- यह विश्व राजनीति को देखने/समझने के परस्पर नज़रिये पर ज़ोर देता है। **उत्पादन के तीन प्रमुख क्षेत्र हैं: कोर, पेरिफेरल और सेमी-पेरिफेरल।**
- अमेरिका या जापान जैसे देशों में अत्याधुनिक तकनीकों की बहुतायत होने के कारण **कोर क्षेत्र में अधिक लाभ** होता है।
- दूसरी ओर, **पेरिफेरल क्षेत्र**, कम परिष्कृत उत्पादन में संलग्न हैं जो मूलतः **श्रम प्रधान** होता है।
- **सेमी-पेरिफेरल ज़ोन** इन दोनों के बीच में है जिसमें भारत और ब्राज़ील जैसे देश शामिल हैं।

- पूर्वी और पश्चिमी देश:
- पश्चिमी देश आम तौर पर अपने लोगों के बीच आर्थिक विकास और समृद्धि के उच्च स्तर को दर्शाते हैं, और पूर्वी देशों को विकास की इसी संक्रमण की प्रक्रिया में माना जाता है।

ग्लोबल उत्तर और ग्लोबल दक्षिण के उद्भव का कारण:

पूर्व वर्गीकरण की गैर-व्यवहार्यता:

- शीत युद्ध के बाद के विश्व में, प्रथम विश्व/तीसरा विश्व वर्गीकरण व्यवहार्य नहीं रह गया था, क्योंकि जब वर्ष 1991 में कम्युनिस्ट सोवियत संघ का वधितन हुआ तो अधिकांश देशों के पास पूंजीवादी अमेरिका के साथ किसी स्तर पर सहयोग करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था, जो उस समय एकमात्र वैश्विक महाशक्ति थी।
 - पूर्व/पश्चिम देशों को अक्सर अफ्रीकी और एशियाई देशों के विषय में रूढ़िवादी सोच बनाए रखने वालों के रूप में देखा जाता था।
 - विभिन्न देशों को एक ही श्रेणी में वर्गीकृत करना अत्यधिक सरल माना जा रहा था।

वैश्विक दक्षिण देशों में समानताएँ:

- अधिकांश वैश्विक दक्षिण देशों का उपनिवेश बनने का इतिहास रहा है। [UNSC](#) की स्थायी सदस्यता से बहिष्करण के कारण अंतरराष्ट्रीय मंचों में इन देशों का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम रहा है।
- अधिकांश वैश्विक दक्षिण देशों के आज भी विकासशील रहने/कम विकासित होने का एक महत्वपूर्ण कारण यह बहिष्करण भी रहा है।

दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिये की गई पहल:

- वैश्विक:
 - [ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका \(BRICS\) मंच](#)
 - [भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका \(IBSA\) मंच](#)
 - [दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिये अंतरराष्ट्रीय दविस:](#)
 - मूल रूप से 19 दिसंबर को दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिये संयुक्त राष्ट्र दविस की तारीख को वर्ष 2011 में 12 सितंबर को स्थानांतरित कर दिया गया था।
 - यह उस तारीख को याद करता है जब [संयुक्त राष्ट्र महासभा \(UNGA\)](#) ने विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने और लागू करने के लिये वर्ष 1978 में एक कार्य योजना अपनाई थी।
- भारतीय:
 - [ट्रिप्स छूट पर प्रस्ताव \(Proposal on TRIPS Waiver\):](#)
 - बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं (TRIPS) में छूट जैसी पहली बार वर्ष 2020 में भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा प्रस्तावित किया गया था, में कोविड-19 टीकों और उपचारों पर [बौद्धिक संपदा अधिकारों \(IPRs\)](#) की अस्थायी वैश्विक आसानी शामिल होगी, ताकि उन्हें वैश्विक स्वास्थ्य का समर्थन करने और महामारी से बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। कोविड-19 टीकों, दवाओं, चिकित्सीय और संबंधित प्रौद्योगिकियों पर समझौता।
 - [वैक्सीन मैत्री अभियान:](#)
 - वर्ष 2021 में भारत ने ["वैक्सीन मैत्री"](#) पहल नामक अपना ऐतिहासिक अभियान शुरू किया जो ["नेबरहुड फ़र्स्ट नीति" \(Neighbourhood first policy\)](#) के अनुसार है।

ग्लोबल साउथ के विकास हेतु बाधाएँ:

- [हरति ऊर्जा कोष जारी करना:](#)
 - वैश्विक उत्सर्जन के प्रति ग्लोबल नॉर्थ देशों के उच्च योगदान के बावजूद, वे [हरति ऊर्जा के वित्तपोषण](#) के लिये भुगतान की अपेक्षा कर रहे हैं, जिसके लिये अंतमि पीड़ित सबसे कम उत्सर्जक हैं - कम विकासित देश।

रूस-यूक्रेन युद्ध का प्रभाव:

- [रूस-यूक्रेन युद्ध](#) ने सबसे कम विकासित देशों (LDCs) को गंभीर रूप से प्रभावित किया जिससे खाद्य, ऊर्जा और वित्त से संबंधित चिंताएँ बढ़ गईं तथा LDCs की विकास संभावनाओं को खतरा उत्पन्न हो गया।
- [चीन का हस्तक्षेप:](#)
 - चीन बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये [बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव \(BRI\)](#) के माध्यम से ग्लोबल साउथ में तेज़ी से पैठ बना रहा है।
 - हालाँकि, यह अभी भी संदेहास्पद है कि क्या BRI दोनों पक्षों के लिये लाभदायक होगा या यह केवल चीन के लाभ पर ध्यान केंद्रित करेगा।

अमेरिकी आधिपत्य:

- विश्व को अब कई लोगों द्वारा बहुधरुवीय माना जाता है लेकिन यह अकेला अमेरिका है जो अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर हावी है।।
- **संसाधनों तक अपर्याप्त पहुँच:**
 - महत्त्वपूर्ण विकासात्मक परणामों के लिये आवश्यक संसाधनों तक पहुँच में ग्लोबल नॉर्थ- साउथ वचिलन ऐतिहासिक रूप से प्रमुख अंतरालों की विशेषता रही है।
 - उदाहरण के लिये, औद्योगिकरण, वर्ष 1960 के दशक की शुरुआत से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के पक्ष में झुका हुआ है और इस संबंध में वैश्विक अभिसरण का कोई बड़ा प्रमाण नहीं मिला।
- **कोविड-19 का प्रभाव:**
 - कोविड-19 महामारी ने पहले से मौजूद अंतराल को बढ़ा दिया है।
 - महामारी के शुरुआती चरणों से नपिटने में न केवल देशों को वभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, बल्कि आज जनि सामाजिक और व्यापक आर्थिक प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है, वे ग्लोबल साउथ के लिये अधिक खराब रहे हैं।
 - घरेलू अर्थव्यवस्थाओं की भेद्यता अब अर्जेंटीना और मसिंर से लेकर पाकिस्तान और श्रीलंका तक के देशों में कहीं अधिक स्पष्ट है।

भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ कैसे बन सकता है?

- वर्तमान समय में ग्लोबल साउथ को अग्रणी बनाने के लिये विकासशील देशों के बीच नदिनीय क्षेत्रीय राजनीति पर अंकुश लगाने हेतु भारत को सक्रिय भूमिका नभानी होगी।
- भारत को इस तथ्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है कि ग्लोबल साउथ एक सुसंगत समूह नहीं है और न ही इसका कोई साझा एजेंडा है।
 - यह विकासशील देशों के वभिन्न क्षेत्रों और समूहों के अनुरूप सक्रिय भारतीय भूमिका की आवश्यकता है।
- भारत पुरानी वैचारिक लड़ाइयों पर लौटने के बजाय व्यावहारिक परणामों पर ध्यान केंद्रित करके उत्तर और दक्षिण के बीच एक पुल बनने के लिये उत्सुक है।
- यदि भारत इस महत्वाकांक्षा को प्रभावी नीति में बदल सकता है, तो सार्वभौमिक और विशेष लक्ष्यों की प्राप्ति आसानी से की जा सकती है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. निम्नलिखित में से कसि समूह में सभी चार देश G20 के सदस्य हैं? (2020)

- (A) अर्जेंटीना, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की
(B) ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया और न्यूजीलैंड
(C) ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरब और वयितनाम
(D) इंडोनेशिया, जापान, सगिपुर और दक्षिण कोरिया

उत्तर: A

व्याख्या:

- यह 19 देशों और यूरोपीय संघ (EU) का एक अनौपचारिक समूह है, जिसकी स्थापना वर्ष 1999 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के प्रतनिधियों के साथ हुई थी।
- सदस्य देश जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 80% से अधिक का प्रतनिधित्व करते हैं, वे मज़बूत वैश्विक आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के प्रमुख मंच पर आए, जिसके लिये पेन्सिलवेनिया (USA) सितंबर 2009 में पटिसबर्ग शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी।
- G-20 के सदस्य देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
- अतः विकल्प A सही उत्तर है।

??/??/??/??:

प्रश्न. "डबल्यूटीओ के व्यापक लक्ष्य और उद्देश्य वैश्वीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रबंधन और बढ़ावा देना है। लेकिन विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेदों के कारण दोहा दौर की वार्ता व्यर्थ हो गई है। भारतीय परप्रेक्ष्य में चर्चा करें। (2016)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

अनुसूचति जनजात (ST) सूची में संशोधन हेतु वधियक

प्रलिमिस के लयि:

राष्ट्रीय अनुसूचति जनजात आयोग, अनुसूचति जनजात, संवधिन की पाँचवी अनुसूची, संवधिन की छठी अनुसूची ।

मेन्स के लयि:

अनुसूचति जनजातियों की सूची में शामिल करने की प्रक्रया, भारत में जनजातियों से संबधति संवैधानिक प्रावधान और पहल ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 4 राज्यों - तमलिनाडु, कर्नाटक, हमिचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में [अनुसूचति जनजात \(ST\) सूची](#) को संशोधति करने की मांग करने वाले चार वधियकों को [संवधिन \(ST\) आदेश, 1950](#) में प्रस्तावति संशोधनों के माध्यम से [लोकसभा](#) में पेश कया गया था ।

प्रस्तावति परिवर्तन:

वधियक का उद्देश्य:

- तमलिनाडु की ST सूची में [नारीकोरवन और कुरुवकिंकरन पहाड़ी जनजातियों](#) को शामिल करना ।
 - [लोकुर समति \(1965\)](#) ने भी अपनी रिपोर्ट में उन्हें सूची में शामिल करने की सफिरशि की थी ।
- कर्नाटक की ST सूची में पहले से ही वर्गीकृत [काडू कुरुबा](#) के पर्याय के रूप में [बेटटा-कुरुबा](#) को शामिल करना ।
- छत्तीसगढ़ की ST सूची में पहले से वर्गीकृत भारया भूमया जनजात के लयि देवनागरी लिपि में अन्य समानार्थक शब्द जोड़ना ।
 - जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अनुसार, वे सभी एक ही जनजात का हसिसा हैं, लेकनि उन्हें सूची से बाहर रखा गया था क्योंकि उनके नाम अलग-अलग हैं ।
- सरिमौर ज़िले में ट्रांस-गरि क्षेत्र के [हट्टी समुदाय](#) को हमिचल प्रदेश की ST सूची में शामिल करना (लगभग पाँच दशकों के बाद) ।

ST सूची में शामिल करने की प्रक्रया:

राज्य द्वारा सफिरशि:

- जनजातियों को ST की सूची में शामिल करने की प्रक्रया संबधति राज्य सरकारों की सफिरशि से शुरू होती है, जसै बाद में जनजातीय मामलों के मंत्रालय को भेजा जाता है, जो समीक्षा करता है और अनुमोदन के लयि [भारत के महापंजीयक](#) को इसे प्रेषति करता है ।

NCST से मंजूरी:

इसके बाद सूची को अंतिम नरिणय के लयि कैबनेट को भेजे जाने से पहले [राष्ट्रीय अनुसूचति जनजात आयोग \(National Commission for Scheduled Tribes- NCST\)](#) द्वारा मंजूरी दी जाती है ।

राष्ट्रपत की सहमति:

अंतिम नरिणय करने की शक्ति राष्ट्रपति में नहिति है ([अनुच्छेद 342](#) के तहत) ।

- अनुसूचति जनजात में [किसी भी समुदाय को शामिल करने की प्रक्रया संवधिन \(अनुसूचति जनजात\) आदेश, 1950](#) में संशोधन करने वाले वधियक को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही प्रभावी होती है ।

भारत में अनुसूचति जनजातियों से संबधति प्रावधान

परभाषा:

- भारत का संवधिन अनुसूचति जनजातियों की मान्यता के मानदंडों को परभाषति नहीं करता है । वर्ष [1931 की जनगणना](#) के अनुसार, अनुसूचति जनजातियों को "बहषिकृत" और "आंशिक रूप से बहषिकृत" क्षेत्रों में रहने वाली "पछिड़ी जनजातियों" के रूप में मान्यता जाना जाता है ।
- भारत सरकार अधनियम [1935](#) ने पहली बार प्रांतीय वधिनसभाओं में "पछिड़ी जनजातियों" के प्रतिनिधियों को शामिल कयि जाने की मांग की ।

संवैधानिक प्रावधान:

- [अनुच्छेद 366 \(25\)](#): इसमें अनुसूचति जनजातियों को "ऐसी आदवासी जात या आदवासी समुदाय या इन आदवासी जातियों और आदवासी समुदायों के भाग या उनके समूह के रूप में, जनिहें इस संवधिन के उद्देश्यों के लयि [अनुच्छेद 342](#) में अनुसूचति जनजातियों माना गया है" परभाषति कया है ।
- [अनुच्छेद 342\(1\)](#): राष्ट्रपति किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबध में (राज्य के मामले में [राज्यपाल](#) के परामर्श के बाद) उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में जनजातियों/जनजातीय समुदायों/जनजातियों/जनजातीय समुदायों के कुछ भागों या समूहों को अनुसूचति जनजात के रूप में वनिरिदषित कर सकता है ।
- पाँचवी अनुसूची: यह 6वी अनुसूची में शामिल राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचति क्षेत्रों और अनुसूचति जनजात के

प्रशासन एवं नयित्करण हेतु प्रावधान नरिधारति करती है ।

○ छठी अनुसूची: असम, मेघालय, त्रपुरा और मज़ोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंघति है ।

■ वैधानकि प्रावधान:

○ असपृश्यता के वरिद्ध नागरकि अधकिार संरक्षण अधनियिम, 1955

○ [अनुसूचति जात और अनुसूचति जनजात \(अतयाचार नवारण\) अधनियिम, 1989](#)

○ [पंचायत उपबंध \(अनुसूचति क्षेत्रों तक वसितार\) अधनियिम \(पेसा\), 1996](#)

○ [अनुसूचति जनजात और अन्य पारंपरकि वन नविसी \(वन अधकिारों की मान्यता\) अधनियिम, 2006](#) ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्र. यदकिसी वशिषिट क्षेत्र को भारत के संवधान की पाँचवी अनुसूची के अधीन लाया जाए, तो नमिनलखिति कथनों में कौन-सा एक कथन इसके परणाम को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? (2022)

(a) इससे जनजातीय लोगों की ज़मीनें गैर-जनजातीय लोगों के अंतरति करने पर रोक लगेगी ।

(b) इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी नकाय का सृजन होगा ।

(c) इससे वह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र में बदल जाएगा ।

(d) जसि राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे, उसे वशिष कोटिका राज्य घोषति कया जाएगा क्षेत्रों वाले राज्य को वशिष श्रेणी का राज्य घोषति कया जाएगा ।

उत्तर: (a)

प्र. भारत के संवधान की कसि अनुसूची के तहत खनन के लयि नजिी पारटियों को आदविसी भूमकिे हस्तांतरण को शून्य और शून्य घोषति कया जा सकता है? (2019)

(A) तीसरी अनुसूची

(B) पाँचवी अनुसूची

(C) नौवी अनुसूची

(D) बारहवी अनुसूची

उत्तर: (B)

?????:

प्र. स्वतंत्रता के बाद अनुसूचति जनजातियों (एसटी) के प्रतभिदभाव को दूर करने के लयि, राज्य द्वारा की गई दो प्रमुख वधिकि पहलें क्या हैं? (2017)

[स्रोत: द हद्रि](#)

राष्ट्रीय न्यायकि आयोग वधियक, 2022

प्रलिमिस के लयि:

कॉलेजियिम प्रणाली, Collegium System, 99 वां संवधान (संशोधन) अधनियिम, 99th Constitution (Amendment) Act, भारत के मुख्य न्यायाधीश, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1981 ।

मेन्स के लयि:

न्यायाधीशों की नयिकृति के लयि संवैधानकि प्रावधान, कॉलेजियिम प्रणाली का वकिस, कॉलेजियिम प्रणाली से संबंघति मुददे, प्रतनिधि न्यायपालकिा की ओर ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग अधिनियम, 2022 को संसद में प्रस्तुत किया गया।

वधियक की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **नयुक्त की प्रक्रिया को वनियमिति करता है:**
 - वधियक का उद्देश्य भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों एवं अन्य न्यायाधीशों के रूप में नयुक्त हेतु लोगों की सफारिश करने के लिये राष्ट्रीय न्यायिक आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को वनियमिति करना है।
- **स्थानान्तरण को वनियमिति करना:**
 - इसका उद्देश्य उनके स्थानान्तरण को वनियमिति करना और न्यायिक मानकों को नरिधारित करना तथा न्यायाधीशों की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के दुरुव्यवहार या अक्षमता के लिये व्यक्तिगत शिकायतों की जाँच हेतु विश्वसनीय और समीचीन तंत्र स्थापित करना और वनियमिति करना है।
- **एक न्यायाधीश को हटाना:**
 - यह एक न्यायाधीश को हटाने के लिये कार्यवाही के संबंध में और उससे जुड़े मामलों या प्रासंगिक मामलों के संबंध में राष्ट्रपति को संसद द्वारा एक अभिषण प्रस्तुत करने का भी प्रस्ताव करता है।

राष्ट्रीय न्यायिक नयुक्तिआयोग (NJAC) क्या था?

- **NJAC:**
 - अगस्त 2014 में, संसद ने NJAC अधिनियम, 2014 के साथ संवधान (99वां संशोधन) अधिनियम, 2014 पारित किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नयुक्ति के लिये कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक स्वतंत्र आयोग के गठन का प्रावधान है।
- **NJAC की संरचना:**
 - पदेन अध्यक्ष के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश
 - पदेन सदस्य के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश
 - पदेन सदस्य के रूप में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री
 - नागरिक समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्ति (एक समिति द्वारा नामित किये जाएँगे जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री और लोकसभा के वपिकष के नेता शामिल होंगे; प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से नामित किये जाने वाले व्यक्तियों में एक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पछिड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक या महिला)
- **राष्ट्रीय न्यायिक नयुक्ति आयोग (National Judicial Appointments Commission- NJAC) और कॉलेजियम प्रणाली में अंतर:**
 - **NJAC:**
 - भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की सफारिश NJAC द्वारा वरिष्ठता के आधार पर की जानी थी जबकि SC और HC के न्यायाधीशों की सफारिश क्षमता, योग्यता और "नियमों में नरिदष्टि अन्य मानदंडों" के आधार पर की जानी थी।
 - यह अधिनियम NJAC के किसी भी दो सदस्य को सफारिश संबंधी नरिणय पर वीटो करने का अधिकार प्रदान करता था।
 - **कॉलेजियम प्रणाली:**
 - **कॉलेजियम प्रणाली** में, वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक समूह उच्च न्यायापालिका में नयुक्तियाँ करता है और यह प्रणाली लगभग तीन दशकों से चालू है।

कॉलेजियम प्रणाली:

- सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम एक पाँच सदस्यीय नकिया है, जिसका नेतृत्व नविरतमान **भारत के मुख्य न्यायाधीश** (CJI) करते हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं।
 - उच्च न्यायालय कॉलेजियम का नेतृत्व उच्च न्यायालय के नविरतमान मुख्य न्यायाधीश और उस न्यायालय के दो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं।
- कॉलेजियम की पसंद या चयन के बारे में सरकार आपत्त कर सकती है और स्पष्टीकरण भी मांग सकती है, लेकिन अगर कॉलेजियम पुनः उन्हीं नामों की अनुशंसा करे तो सरकार उन्हें ही न्यायाधीशों के रूप में नयुक्त करने के लिये बाध्य है।

न्यायाधीशों की नयुक्ति संबंधी संवधानिक प्रावधान

- **संवधान के अनुच्छेद 124(2) और 217** क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नयुक्ति के संबंध में उपबंध करते हैं।
 - ये नयुक्तियाँ राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं जिसके लिये वह "उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श के पश्चात्, जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिये परामर्श करना आवश्यक समझे" की शर्त का पालन करता है।
- लेकिन संवधान इन नयुक्तियों के लिये कोई प्रक्रिया नरिधारित नहीं करता है।

NJAC को अदालत में चुनौती देने का कारण:

- वर्ष 2015 की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने एक याचिका दायर की थी जिसमें मौजूदा कानूनों के प्रावधानों को चुनौती दी गई थी।
- SCAORA का तर्क था कि दोनों अधिनियम "असंवैधानिक" और "अमान्य" थे।
 - यह तर्क दिया गया कि NJAC के निर्माण के लिये प्रदान किये गए 99वें संशोधन ने 'भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सामूहिक राय की प्रधानता' को अप्रभावी कर दिया क्योंकि उनकी सामूहिक सफारिश पर वीटो लगाया जा सकता है अथवा "तीन गैर-न्यायाधीश सदस्यों के बहुमत से नलिंबति" किया जा सकता है।
 - इसमें कहा गया है कि संशोधन ने "गंभीर रूप से" संविधान की बुनियादी संरचना को नुकसान पहुँचाया है, जिसमें उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नयुक्ति में न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक अभिन्न अंग थी।।
- इसने यह भी तर्क दिया कि NJAC अधिनियम स्वयं "अमान्य" और "संविधान के दायरे से बाहर" था क्योंकि यह संसद के दोनों सदनों में तब पारित किया गया था जब मूल रूप से अधिनियमिती अनुच्छेद 124(2) और 217(1) लागू थे और 99वाँ संशोधन राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं माली थी।।

आगे की राह

- **स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन:** वास्तविक मुद्दा यह नहीं है कि कौन (न्यायपालिका या कार्यपालिका) न्यायाधीशों की नयुक्ति करता है, बल्कि किस प्रकार से उन्हें नयुक्ति किया जाता है।
 - इसके लिये न्यायिक नयुक्ति आयोग (JAC) की संरचना चाहे जो भी हो, न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक जवाबदेही के बीच संतुलन बनाना महत्त्वपूर्ण है।
 - नयुक्तियों में कार्यपालिका की भूमिका होनी चाहिये लेकिन JAC की संरचना ऐसी होनी चाहिये कि इससे न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता न हो।
- **न्यायपालिका के अंदर न्याय:** यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि न्याय प्रदान करने के लिये न्यायालय की संस्थागत अनविरयता न्यायपालिका के भीतर अवसर की समानता और न्यायाधीशों के चयन के लिये निश्चित मानदंडों के साथ बनी रहे।
- **NJAC की स्थापना पर पुनर्विचार:** NJAC के अधिनियम में उन सुरक्षा उपायों को शामिल करने के लिये संशोधन किया जा सकता है जो इसे संवैधानिक रूप से वैध बनाएँगे साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिये पुनर्गठित किया जाएगा कि बहुमत नयितरण न्यायपालिका के पास बना रहे।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न:

प्र. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2019)

1. भारत के संविधान के 44 वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक पुनरावलोकन से परे कर दिया।
2. भारत के संविधान के 99 वें संशोधन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वखिडति कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतकिरण करता था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

??????

प्रश्न. भारत में उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नयुक्ति के संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नयुक्ति आयोग अधिनियम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजयि। (2017)

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

फार्मास्युटिकल प्रदूषण

प्रलिम्स के लिये:

फार्मास्युटिकल प्रदूषण, अपशषिट जल, जैव संचय, मल्टी-ड्रग प्रतरोध, मल्टीड्रग प्रतरोध के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना 2017।

मेन्स के लिये:

फार्मास्युटिकल प्रदूषण, संबद्ध चलाएँ, संभावति समाधान और संबधति पहल।

चर्चा में क्यों?

एक शोध पत्र के अनुसार, लगातार नज़रंदाज किये जाने वाले फार्मास्युटिकल प्रदूषण पर ध्यान देने की तत्काल आवश्यकता है जिसके तहत औषधि, स्वास्थ्य सेवा और पर्यावरण क्षेत्रों से समन्वति कार्रवाई की आवश्यकता है।

वर्ष की लगभग आधी या 43% नदियाँ सांद्रता में सक्रिय औषधि सामग्री से दूषित हैं जो स्वास्थ्य पर वनाशकारी प्रभाव डाल सकती हैं।

फार्मास्युटिकल प्रदूषण:

■ परिचय:


- फार्मास्युटिकल संयंत्र अक्सर अपनी वनिरिमाण प्रक्रिया में उपयोग किये जाने वाले सभी रासायनिक यौगिकों को फिल्टर करने में असमर्थ होते हैं और इस तरह, रसायन आसपास के ताज़े/स्वच्छ जल प्रणालियों में और अंततः महासागरों, झीलों, धाराओं और नदियों को प्रदूषित करते हैं।
- औषधि निर्माताओं से अपशषिट जल को कभी-कभी खुले मैदानों और आस-पास के जल निकायों में भी छोड़ दिया जाता है, जिससे पर्यावरण, लैंडफिल या डंपिंग क्षेत्रों में औषधि अपशषिट या उनके उप-उत्पादों में वृद्धि होती है। यह सब मूल रूप से औषधि/फार्मास्युटिकल प्रदूषण के रूप में जाना जाता है।

■ प्रभाव:

- **मछली और जलीय जीवन पर प्रभाव:**
 - कई अध्ययनों ने संकेत दिया है कि जन्म न्यतिरण की गोलियों और पोस्टमेनोपॉज़ल हार्मोन उपचार में पाए जाने वाले एस्ट्रोजन का नर मछली पर कुरभाव पड़ता है और महिला-से-पुरुष अनुपात प्रभावति हो सकता है।
- **सीवेज उपचार प्रक्रिया में व्यवधान:**
 - सीवेज उपचार प्रणालियों में मौजूद एंटीबायोटिकस सीवेज बैक्टीरिया की गतिविधियों को रोक सकते हैं और कार्बनिक पदार्थ अपघटन को गंभीरता से प्रभावति करते हैं।
- **पीने के जल पर प्रभाव:**
 - इन फार्मास्युटिकलस में मौजूद रसायन, शरीर से उत्सर्जति होने के बाद जल को प्रदूषित करता है।
 - अधिकांश नगरपालिका सीवेज उपचार सुविधाएँ इन औषधि यौगिकों को पीने के जल से नहीं हटा सकती हैं और लोग समान यौगिकों का उपभोग करते हैं।
 - इन यौगिकों के संपर्क में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं।
- **पर्यावरण पर दीर्घकालिक प्रभाव:**
 - कुछ औषधि यौगिक पर्यावरण और जल की आपूर्ति में लंबे समय तक बने रह सकते हैं।
 - जैवसंचय की प्रक्रिया में एक कोशिका में प्रवेश करते हैं और खाद्य शृंखलाओं को आगे बढ़ाते हैं, प्रक्रिया में अधिक केंद्रति हो जाते हैं। यह लंबे समय में जीवन और पर्यावरण पर वनाशकारी प्रभाव डाल सकता है।

■ समाधान:

- औषधिओं के उचित निपटान पर सार्वजनिक शिक्षा में निवेश ड्रग टेक-बैक कार्यक्रमों के हिससे के रूप में किये जाना चाहिये।
- अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में बड़े पैमाने पर औषधि फ्लशिंग को सीमति करने के लिये कड़े नियम।
- औषधि प्रदूषण के संभावति मानव प्रभावों का आकलन करने के लिये अतिरिक्त शोध की सख्त आवश्यकता है।
- थोक खरीद को सीमति करने से यह सुनिश्चित होगा कि केवल आवश्यक राश की आपूर्ति की जाए और जिससे कम प्रदूषण हो।
- फ्लशिंग की तुलना में उचित कचरा समाधान का चुनाव करना चाहिये क्योंकि इससे उन्हें जलाया जाता है या लैंडफिल कर दिया जाता है।



भारत में फार्मास्यूटिकल्स प्रदूषण की स्थिति:

- **वर्श्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक:**
 - भारत वर्श्व का तीसरा सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल्स उत्पादक है, जिसमें लगभग 3000 औषधि कंपनियों और लगभग 10500 वनरिमाण इकाइयाँ शामिल हैं।
 - फार्मास्यूटिकल्स उत्पादन को भारत के विभिन्न हिस्सों में सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में से एक माना जाता है।
- **भारत, थोक औषधि की राजधानी:**
 - 'भारत को थोक औषधि राजधानी' के रूप में जाना जाता है।
 - इसमें लगभग 800 से अधिक फार्मा/बायोटेक इकाइयाँ हैं।
 - सर्वेक्षण के अनुसार, स्थानीय लोगों का तर्क है कि जिन क्षेत्रों में उद्योग स्थिति है, वहाँ भूजल अत्यधिक दूषित है।
- **मल्टीड्रग-प्रतरोध संक्रमण:**
 - यह अनुमान लगाया गया है कि मल्टीड्रग-प्रतरोध संक्रमण के कारण भारत में वार्षिक लगभग 60000 नवजात शिशुओं की मृत्यु हो जाती है, जहाँ रोगाणुरोधी औषधियों के साथ औषधिजल प्रदूषण इसके लिये उत्तरदायी है।

संबंधित सरकारी पहल:

- **एंटीमाइक्रोबियल प्रतरोध के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना 2017:** औद्योगिक कचरे में एंटीबायोटिक औषधियों पर सीमा से संबंधित समस्या से निपटने के लिये प्रस्तावित किया गया था।
- **शून्य तरल नरिवहन नीति:** केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने शून्य तरल नरिवहन प्राप्त करने के लिये विभिन्न फार्मा उद्योगों को दिशानिर्देश पेश किये हैं।
 - हैदराबाद में 220 थोक औषधि निर्माताओं में से लगभग 86 के पास शून्य तरल नरिवहन सुविधाएँ हैं, जिसे पता चला है कि वे लगभग सभी तरल अपशिष्ट को रसायकल कर सकते हैं।
- **बहिःस्राव की नरितर नगरानी:** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने यह भी घोषणा की है कि उद्योगों को लगातार बहिःस्राव की नगरानी के लिये उपकरण स्थापित करने चाहिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन भारत में माइक्रोबियल रोगजनकों में मल्टीड्रग प्रतरोध की घटना के कारण हैं? (2019)

1. कुछ लोगों की आनुवंशिक परिवर्तन
2. बीमारियों को ठीक करने के लिये एंटीबायोटिक औषधियों की गलत खुराक लेना
3. पशुपालन में एंटीबायोटिक का प्रयोग
4. कुछ लोगों में कई पुरानी बीमारियाँ

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1, 3 और 4
(d) केवल 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

- मल्टीड्रग प्रतिरोध (AMR) एक सूक्ष्मजीव (जैसे बैक्टीरिया, वायरस और कुछ परजीवी) की एक रोगाणुरोधी (जैसे एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और एंटीमाइलेरियल) को इसके खिलाफ काम करने से रोकने की क्षमता है। नतीजतन, मानक उपचार अप्रभावी हो जाते हैं, संक्रमण बना रहता है और दूसरों में फैल सकता है।
- एक आनुवंशिक प्रवृत्ति (कभी-कभी आनुवंशिक संवेदनशीलता भी कहा जाता है) किसी व्यक्ति के आनुवंशिक मेकअप के आधार पर किसी विशेष बीमारी के विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। विशिष्ट आनुवंशिक विविधताओं से एक आनुवंशिक प्रवृत्ति का परिणाम होता है जो अक्सर माता-पिता से मिलता है। इसका मल्टीड्रग प्रतिरोध से कोई सीधा संबंध नहीं है। **अतः 1 सही नहीं है।**
- AMR स्वाभाविक रूप से समय के साथ होता है। कई जगहों पर, लोगों और जानवरों में एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग और दुरुपयोग किया जाता है, और अक्सर पेशेवर नरीक्षण के बिना दिया जाता है। दुरुपयोग के उदाहरणों में शामिल हैं जब उन्हें सर्दी और फ्लू जैसे वायरल संक्रमण वाले लोगों द्वारा लिया जाता है, और जब उन्हें जानवरों में ग्रोथ प्रमोटर के रूप में दिया जाता है या स्वस्थ जानवरों में बीमारियों को रोकने के लिये उपयोग किया जाता है। **अतः 2 और 3 सही हैं।**
- एकाधिक पुरानी बीमारियाँ दो या दो से अधिक पुरानी बीमारियाँ हैं जो एक ही समय में एक व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिये, या तो गठिया और उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति या हृदय रोग और अवसाद वाले व्यक्ति, दोनों को कई पुरानी बीमारियाँ हैं। इसलिये यह जरूरी नहीं है कि मल्टीपल क्रॉनिक डिजीज वाले व्यक्ति में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि क्रॉनिक डिजीज ऐसी हो सकती है, जिसमें एंटीबायोटिक्स देने की जरूरत न हो। **अतः 4 सही नहीं है।**
- **अतः विकल्प (B) सही उत्तर है।**

प्रश्न: क्या डॉक्टर के निर्देश के बिना एंटीबायोटिक औषधियों का अतिप्रयोग और मुफ्त उपलब्धता भारत में औषधि प्रतिरोधी रोगों के उद्भव में योगदान कर सकते हैं? नगिरानी एवं नियंत्रण के लिये उपलब्ध तंत्र क्या हैं? इसमें शामिल विभिन्न मुद्दों पर आलोचनात्मक चर्चा कीजिये। (2014)

स्रोत: डाउन टू अर्थ

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/10-12-2022/print>

